न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 144/2017

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई निवासी चक 34 जीजी तहसील व श्रीगंगानगर ।
2. भागीरथ पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई निवासी चक 34 जीजी तहसील व श्रीगंगानगर। —— **अपीलार्थी**

बनाम

1. बलदेवसिह पुत्र वरियामसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मम्मडखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मलकीतसिंह पुत्र वरियामसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मम्मडखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखदेवकौर पुत्री वरियामसिंह पत्नी जगमेलसिंह जाति रामगढिया निवासी 10 चक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्रकौर उर्फ सुखविन्द्रकौर पुत्री वरियामसिंह पत्नी मुखत्यारसिंह जाति रामगढ़िया निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजकौर पुत्री वरियामसिंह पत्नी सुखपालसिंह जाति रामगढ़िया निवासी लूणिया तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर
7. नत्थूराम
8. हंसराज
9. हरचंद
10. दलीपकुमार

पिसरान रामकरण जाति बिश्नोई नि. चक 34 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोडेन्टान

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 04.12.2017

उपस्थितिः–

श्री बलवंत विश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वरियामसिंह मुखत्यार आम रेस्पो. संख्या 1 सें 5

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 188 का पेश कर कथन किया कि चक 34 जीजी के मु.नं. 70 के कि.नं. 1 से 10 व 15/1 की कुल 2.656 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में साधुसिंह के नाम से दर्ज थी जिसका देहान्त होने के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 14.01.1986 से वादीगण ने क्रय कर ली है एवं विक्रेता द्वारा कब्जा सौंप दिया तब से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इकरारनामा की पालना में साधुसिंह के वारिसान द्वारा अपने–अपने हिस्सा जो कि 4/5 हिस्सा बनता था, का बैयनामा दिनांक 15.01.2008 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया। बचनकौर के उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके हिस्से का बैयनामा तस्दीक नहीं हो पाया। इकरारनामा को प्रतिवादी ने कभी चुनौती नहीं दी। वादीगण का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है। प्रतिवादी सं01 के मन में लालच आ गया है एवं गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है। वादीगण ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रतिवादी को कई बार अपना नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने का निवेदन किया लेकिन वह इन्कार हो गई। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर वाद पत्र के अनुतोष की मद संख्या क से ग के अनुसार डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया, जिसके विभाजन का वाद अलग से

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश कर रखा है। प्रतिवादी ने कभी भी अपने हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया और न ही कोई सहमति दी। वादीगण को वादकरण प्राप्त नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.02.2012 से प्रकरण को सुनवाई हेतु उपखंड अधिकारी सादुलशहर को मुन्तकिल किया गया।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर उपखंड अधिकारी सादुलशहर ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात उपखंड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 04.12.2017 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो.संख्या 1 से 5 के मुखत्यारआम की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वादीगण की कय शुदा है रेस्पो. सं. 1 से 5 की माता बचन कर वरवक्त बेयनामा उपस्थित नहीं होने से उसके हिस्से की भूमि का बैयनामा नही करवाया जा सका जबकि कब्जा काश्त खरीद के दिन से ही वादीगण का चला आ रहा है। अधी. न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अधी.न्यायालय ने वादीगण का वाद तथ्यों एवं साक्ष्य का सही विवेचन किये बिना खारिज किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलापधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद स्वीकार किया जावे ।

रेस्पो.सं0 1 से 5 के मुखत्यारआम ने अपनी बहस में कथन किया कि बचनकौर ने उक्त भूमि का कोई इकरारनामा नहीं किया था न ही किसी को इकरारनामा करने या बैयनामा करवाने का अधिकार दिया था। रेस्पो सं. 1 से 5 की माता ने जब बेचान ही नहीं किया तो बचनकौर का नाम राजस्व रिकार्ड से वादीगण डिलीट करवाने एवं खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। अधी.

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि विवादित भूमि उनके द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की गई है एवं बैयनामा करवाते समय प्रतिवादी बचनकौर उपस्थित नहीं होने से बैयनामा नहीं करवाया जा सका जबकि बचनकौर ने इकरारनामा करने से इन्कार किया है, साथ ही यह कथन किया कि बचनकौर ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने में कोई सहमति नहीं दी थी। यदि कोई इकरारनामा बचनकौर द्वारा किया गया था तो उसके आधार पर वादीगण सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पेश कर अनुतोष पाने के अधिकारी थे। अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर